रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2019/कार्तिक 10, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 273

No. 299] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2019/KARTIKA 10, 1941 [N.C.T.D. No. 273

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

आदेश

दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

सं. 06/2019–राज्य कर

दिल्ली माल और सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019

सं. फा. 03(77)**/वित्त(राज0-1)/**2019-20**/डीएस**-VI/520.**—** दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इक्कतीस दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा-निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं ।

अत:, अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम—**इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना, छठा) आदेश, 2019 है ।

2. दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "30 जून, 2019" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 अगस्त, 2019" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

3. यह अधिसूचना 28 जून 2019 से लागू मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

ORDER

Delhi, the 31st October, 2019

No. 6/2019–State Tax

THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

F. No. 3(77)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/520.—WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1**. Short title.**—This Order may be called the Delhi Goods and Services Tax (Sixth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. In section 44 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017, in the Explanation, for the figures, letters and word "30th June, 2019", the figures, letters and word "31st August, 2019" shall be substituted.

This Order shall come into force with effect from the 28th June, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.05 18:41:15 +05'30'